

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपरतक अखीवाही मुकाम चित्तौड़गढ़
 शम्भू देवी बनाम उरीवाई
 मस मुकदमा नं. 57 सन् 2023
 वार (2023/168)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/7/24	<p>इच्छिवस्ता प्रार्थना पत्र 022 R उजादी एवं घेरोकार सरकार उपरन्वित/उत्प्रेषी संख्या 01 अनुपन्वित। आवाज लगावई गई। उपरन्वित नही हुए। प्रार्थना पत्र 022 R उजादी पर बहस अखीवस्ता प्रार्थी एक तरफा सुनी गई। हमने पत्रावली का इजलास (अहमद) कर अखीवस्ता प्रार्थी की बहस पर गहनता से चिन्तन मजम किया। प्रार्थी अलेशपुरी मृतक वारीया का प्रकम शेगी का वसिरल नही होकर मृतक वारीया के अनरजिस्टर्ड पसीयतनामा के आधार पर वारीया के बजाय वारी पक्षकार बनना चाहता है, जो विधि सम्मत नही है। प्रार्थी मृतक वारीया का उत्तराधिकारी खोलित 0 होने के लिए सक्षम प्रायोजन में कार्यवाही करे। उपरोक्त तिवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खरीज किया जाता है। वाद पत्र अवेर हो जाने से अवेरमेंट में खरीज किया जाता है।</p> <p>निर्णय लिखवाया जाकर जुनाया गया। निर्णयानुसार डिफ्री जारी है। पत्रावली के फल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(बीनू देवल)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)